



2026:AHC:3398

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19687 वर्ष 2025

राजेश चन्द्र अरविंद

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अजीत कुमार, महेंद्र कुमार यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र कुमार यादव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाली विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री अर्चना त्यागी के तर्कों को सुना।
- इस याचिका में एकमात्र प्रार्थना याचिकाकर्ता को सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के नवीनीकरण के लिए है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि चाहे कुछ भी हो, याचिकाकर्ता के दावे का फैसला प्रथम दृष्टया दूसरे प्रतिवादी द्वारा किया जाना चाहिए।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस प्रकार के तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
- दोनों पक्षों के तर्कों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 2 - निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाए। अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे। यदि दूसरे प्रतिवादी का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।